

राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता

विवरण - 16

(करोड़ रुपए)

	बजट 2001-2002	संशोधित 2001-2002	बजट 2002-2003
क. राज्य आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	39482.00	37593.38	45361.08
सामान्य केन्द्रीय सहायता	18434.00	17119.85	20172.00
गंदी बस्तियों का सुधार#	386.00	341.11	365.00
विशेष आयोजना सहायता	700.00	1000.00	700.00
विशेष केन्द्रीय सहायता	1350.00	1350.98	1670.00
पर्वतीय क्षेत्र	160.00	160.00	160.00
जनजातीय उप-आयोजना	500.00	500.98	500.00
अनुच्छेद 275(1) के अधीन अनुदान	300.00@
सीमावर्ती क्षेत्र	240.00	240.00	260.00
उत्तर पूर्वी परिषद	450.00	450.00	450.00
विशेष केन्द्रीय सहायता	...	125.00	...
परिवर्ती कृषि नियंत्रण	15.00	15.00	20.00
संसद सदस्यों के स्थानीय क्षेत्र विकास की स्कीम	1580.00	1730.00	1580.00
अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	...	1511.37	...
विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए			
अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	6500.00	8500.00	6500.00
अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त			
केन्द्रीय सहायता#	120.00
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	460.00	50.00	...
पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए केन्द्रीय			
संसाधन पूल से सहायता	...	500.00	...
त्वरित सिंचाई लाभ स्कीम	2000.00	2000.00	2800.00
सड़क और पुल	962.00	367.07	974.08**
प्रधानमंत्री ग्रामोदय			
योजना (पीएमजीवाई)#	5300.00	2533.00	2800.00
(क) ग्रामीण सड़कें	2500.00
(ख) ग्रामोदय के अन्य कार्यक्रम	2800.00	2533.00	2800.00
त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम	1500.00	450.00	3500.00
ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु			
राज्यों को ऋण	175.00
ग्रामीण विद्युतीकरण	600.00
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता			
कार्यक्रम (एनएसएपी)	680.00
आधारभूत ढांचा के सुदृढीकरण के लिए पहल	500.00
विकास और सुधार सुविधा (डीआरएफ)	2500.00
ख. संघ राज्य क्षेत्र आयोजनाएं	1162.00	1284.76	1268.00
विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र	498.00	562.00	538.00
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	335.00	379.00	362.00
पांडिचेरी	163.00	183.00	176.00
विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र	664.00	722.76	730.00
अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	340.00	370.00	385.00
चंडीगढ़	148.00	154.11	160.00
दादरा और नगर हवेली	44.00	51.48	53.00
लक्षद्वीप	97.00	104.98	90.00
दमन और दीव	35.00	42.19	42.00
कुल जोड़ (क+ख)	40644.00	38878.14	46629.08*

यह व्यवस्था राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों दोनों के लिए है।

* इसमें राज्य सरकारों (मांग संख्या 1, 23, 30, 76 और 81) को अनुदानों और ऋणों के रूप में 43748.84 करोड़ रुपए, संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को (मांग संख्या 49 और 76) अनुदानों और ऋणों के रूप में 567.24 करोड़ रुपए, विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों (मांग संख्या 98 से 102) में व्यय के रूप में 730.00 करोड़ रुपए और अन्य व्यय (मांग सं. 66, 74 और 81) के रूप में 1583.00 करोड़ रुपए शामिल है।

** इसमें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रदान किए गए 5.92 करोड़ रुपए की राशि शामिल नहीं है।

@ वर्ष 2001-2002 के लिए 300 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई थी और उसे सामान्य केन्द्रीय सहायता के अधीन शामिल किया गया है।